

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 10/04/2026

संख्या- 02/एल 01-14/2026.....403/ श्री संजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 228 के प्रावधानों के तहत दिनांक-10.04.2026 से 09.05.2026 (30 दिन) तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इनकी अवकाश अवधि में श्री राशिद नवाज़, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अररिया को जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया के कार्य दायित्वों का संपादन करने की अनुमति दी जाती है।

2. उक्त पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग।
पटना, दिनांक 10/04/2026

ज्ञापांक- 02/एल 01-14/2026.....403

प्रतिलिपि:- सभी निदेशक शिक्षा विभाग / प्रभाषी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी अररिया / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था0), अररिया / श्री संजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया / श्री राशिद नवाज़, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अररिया एवं आई.टी. प्रबंधक शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग।